भीम
BhIM
भारत इंटीग्रेशन मिशन

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2024–2025

''वित्त भवन''
जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
दूरभाष 0141–2740324, 2740604
Website : insp.rajasthan.gov.in
E-mail : dir-ins-rj@nic.in

Printed by Raj. State Co-operative Press Ltd. Jaipur

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2024–2025

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	1
2	स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	2 से 3
3	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना	4 से 6
4	आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि	7
5	विभागीय बजट एवं व्यय की स्थिति	7
6	सार–संक्षेप	7

1—विभाग का संगठनात्मक ढांचा

निरीक्षण विभाग का गठन 5 जुलाई, 1995 को किया गया था। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, निरीक्षण विभाग राजस्थान है, जो राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी है। इनका पदस्थापन वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा किया जाता है। विभाग का प्रशासनिक स्वरूप निम्नानुसार हैः—

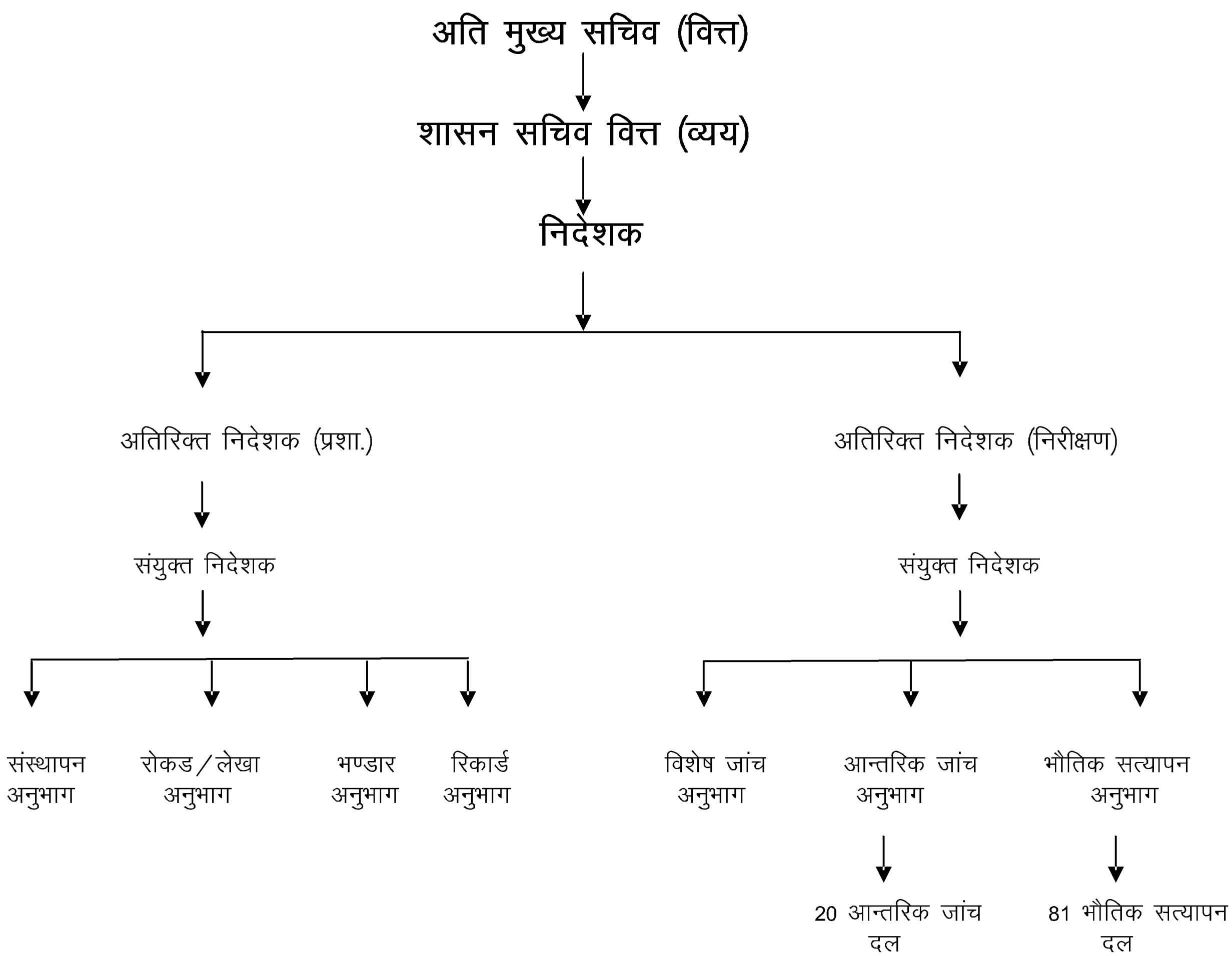

2. स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण–

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद (31.12.2024)
1.	निदेशक	1	1	0
2.	अतिरिक्त निदेशक	2	2	0
3.	संयुक्त निदेशक	2	2	0
4.	निजी सचिव	1	1	0
5.	लेखाधिकारी	20	5	15
6.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	1	0
7.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
8.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	82	24	58
9.	निजी सहायक ग्रेड–I	1	0	1
10.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	3	3	0
11.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	41	7	34
12.	कनिष्ठ लेखाकार	91	31	60
13.	निजी सहायक ग्रेड–II	1	0	1
14.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	6	9*	0
15.	वरिष्ठ सहायक	12	6	6
16	कनिष्ठ सहायक	16	1	15
17.	सूचना सहायक	2	1	1
18.	वाहन चालक	1	1	0
19	जमादार	1	0	1
20	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	7	6
	कुल	298	103	198

*वित्त विभाग द्वारा जारी अशा.टीप. क्रमांक एफ./ई–2/कार्मिक (5)/2022–23 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा मंत्रालयिक कैडर स्ट्रेन्थ के सहायक प्रशासनिक अधिकारी के स्वीकृत पद 15 से घटकर 6 रह गये है। इस प्रकार 3 सहायक प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त कार्यरत है।

विभाग में 20 आन्तरिक जाँच दल तथा 81 भौतिक सत्यापन दल स्वीकृत हैं। प्रत्येक जाँच दल में निम्न प्रकार पद स्वीकृत हैं :–

आन्तरिक जाँच दल

(1) लेखाधिकारी	1
(2) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	2
एक आन्तरिक जाँच दल मे कुल सदस्य	**3**

भौतिक सत्यापन दल

(1) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1
(2) सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1
(3) कनिष्ठ लेखाकार	1
एक भौतिक सत्यापन दल में कुल सदस्य	**3**

जाँच दलों के मुख्यालय

	आंतरिक जॉच दल			भौतिक सत्यापन दल		
मुख्यालय	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त (31.12.2024)	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त (31.12.2024)
जयपुर	10	2	8	10	3	7
अजमेर	2	0	2	4	1	3
कोटा	2	1	1	3	0	3
उदयपुर	2	0	2	9	1	8
बीकानेर	2	0	2	3	2	1
जोधपुर	2	1	1	4	2	2
भीलवाडा	—	—	—	3	1	2
अलवर	—	—	—	3	1	2
भरतपुर	—	—	—	4	1	3
श्री गंगानगर	—	—	—	3	1	2
सीकर	—	—	—	3	3	0
झुन्झुनूं	—	—	—	2	1	1
टोंक	—	—	—	1	1	0
दौसा	—	—	—	1	1	0
सवाईमाधोपुर	—	—	—	1	1	0
करौली	—	—	—	1	0	1
नागौर	—	—	—	3	1	2
चूरू	—	—	—	3	2	1
चित्तौड़गढ़	—	—	—	3	0	3
जैसलमेर	—	—	—	1	1	0
बाड़मेर	—	—	—	2	0	2
पाली	—	—	—	3	1	2
सिरोही	—	—	—	1	0	1
जालोर	—	—	—	2	1	1
बूंदी	—	—	—	2	1	1
झालावाड़	—	—	—	4	1	3
हनुमानगढ़	—	—	—	2	0	2
कुल योग	20	4	16	81	28	53

3. **विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलनाः–**

(1) **आन्तरिक जाँच** :– विभाग का एक प्रमुख कार्य सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–I के नियम 12(2) के अन्तर्गत विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में संधारित लेखों का आन्तरिक अंकेक्षण करना है। गत 3 वित्तीय वर्षों एवं आलोच्य वर्ष (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक) की अवधि के आन्तरिक जाँच प्रतिवेदनों एवं उनके अनुच्छेदों का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष		जोड़े गये		निरस्त / बंद		शेष	
		प्रतिवेदन	अनुच्छेद	प्रतिवेदन	अनुच्छेद	प्रतिवेदन	अनुच्छेद	प्रतिवेदन	अनुच्छेद
1	2021–22	3453	25662	179	2112	89	1599	3543	26175
2	2022–23	3543	26175	125	1605	165	2647	3503	25133
3	2023–24	3503	25133	68	806	80	1783	3491	24156
4	2024–25 (दिसम्बर, 2024 तक)	3491	24156	40	568	78	1459	3453	23265

आलोच्य वर्ष में (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक) जारी आन्तरिक जाँच प्रतिवेदनों के अनुसार अनियमितताओं का राशिगत विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क्र. सं.	विवरण	संख्या	राशि (रु. लाखों में)
1.	नगद शेष के सत्यापन में पाई गई अवितरित राशि	30	7.06
2.	एफ.वी.सी. बिलों द्वारा अनियमित / अधिक भुगतान	28	15.98
3.	चोरी, हानि, गबन के प्रकरण	9	0.33
4.	वेतन, विशेष वेतन, बोनस, समर्पित अवकाश एवं मानदेय के रूप में अनियमित / अधिक भुगतान	30	6.96
5.	यात्रा भत्ता बिलों में अनियमित / अधिक भुगतान	30	22.45
6.	चिकित्सा पुनर्भरण बिलों में अनियमित / अधिक भुगतान	22	4.40
7.	अनियमित क्रय संबंधी प्रकरण	32	37.40
8.	वाहनों की लॉग बुकों में अनियमितता	7	7.27
9.	किराये के वाहन एवं कम्प्युटर (मय ऑपरेटर) पर किया गया अनियमित व्यय	4	4.41
10.	अंकेक्षण प्रतिवेदनों में प्रकट वसूली योग्य राशि	44	19.74
11.	चालानों द्वारा जमा राशि का कोषालय से मिलान का अभाव	10	436.81
12.	वित्तीय अनियमितता	38	357.62
13.	बकाया राजस्व वसूली का अभाव	7	57.62
14.	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	4	546.83
15.	गलत वेतन निर्धारण कर अनियमित / अधिक भुगतान	5	0.90
16.	अग्रिम के समायोजन का अभाव	7	42.44
17.	अनुपयोगी सामान के निस्तारण का अभाव	30	185.60
18.	अन्य	200	83276.63
	योग	**537**	**85030.45**

(2) भौतिक सत्यापन :– विभाग का दूसरा प्रमुख कार्य सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 12 (3) के अन्तर्गत राज्य सरकार के समस्त विभागों/कार्यालयाध्यक्षों के भण्डारों का भौतिक सत्यापन करना है। गत 3 वित्तीय वर्षों एवं आलोच्य वर्ष (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक) की अवधि के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों एवं उनके अनुच्छेदों का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष		जोड़े गये		निरस्त/बंद		शेष	
		प्रतिवेदन	अनुच्छेद	प्रतिवेदन	अनुच्छेद	प्रतिवेदन	अनुच्छेद	प्रतिवेदन	अनुच्छेद
1	2021–22	8222	45400	752	3804	163	2018	9411	47186
2	2022–23	9411	47186	940	5625	550	9278	9801	43533
3	2023–24	9801	43533	648	3758	289	2906	10160	44385
4	2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)	10160	44385	564	3145	483	4166	10241	43364

आलोच्य वर्ष में (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक) जारी भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के अनुसार अनियमितताओं का राशिगत विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु. लाखों में)
1.	अदेय विशेष वेतन	1.31
2.	कम पाई गई भण्डार सामग्री	45.85
3.	गबन/हानि	99.72
4.	अधिशेष (सरप्लस) पाई गयी भण्डार सामग्री	63.55
5	नाकारा भण्डार सामग्री	2330.07
6	अप्रचलित सामग्री	13.37
7.	पुस्तकालय में कम पाई गई पुस्तकें	10.70
8	स्टॉक प्रविष्टि रहित एफ.वी.सी. बिल	61.00
	योग	**2625.57**

(3) **विशेष जाँच** :— विभाग का अन्य प्रमुख कार्य सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग—। के नियम 12 (3) के अन्तर्गत सरकार के विभागों/कार्यालयों और ऐसे विभागों और कार्यालयों द्वारा स्थापित सोसाइटियों आदि में संधारित लेखों/अभिलेखों की विशेष लेखा परीक्षा राज्य सरकार के वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार करना है। गत 3 वित्तीय वर्षों एवं आलोच्य वर्ष (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक) की अवधि के विशेष जांच प्रतिवेदनों एवं उनके अनुच्छेदों का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष		जोड़े गये		निरस्त/बंद		शेष	
		प्रतिवेदन	अनुच्छेद	प्रतिवेदन	अनुच्छेद	प्रतिवेदन	अनुच्छेद	प्रतिवेदन	अनुच्छेद
1	2021—22	370	3575	3	43	3	47	370	3571
2	2022—23	370	3571	5	40	4	77	371	3534
3	2023—24	371	3534	23	170	3	71	391	3633
4	2024—25 (दिसम्बर, 2024 तक)	391	3633	4	21	5	147	390	3507

आलोच्य वर्ष में (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक) के विशेष जाँच प्रतिवेदनों के अनुसार अनियमितताओं का राशिगत विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्र.सं.	अनियमितताओं का वर्गीकरण	राशि (रु. लाखों में)
1.	चोरी, हानि, गबन के प्रकरण	587.09
2.	अग्रिम समायोजन का अभाव	-
3.	वित्तीय अनियमितता	329.62
4.	अन्य	-
	योग	**916.71**

4. आलोच्य वर्ष (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक) की विशेष पहल एवं उपलब्धिः—

निरीक्षण निदेशालय द्वारा विभिन्न विभागों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की ठोस अनुपालना कराने हेतु विशेष कैम्प/बैठकों का आयोजन किया गया तथा अंकेक्षण अनुपालनाएं तैयार करने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत कर मौके पर अनुपालनाएं प्राप्त कर अनुच्छेदों/प्रतिवेदनों का निस्तारण कराया गया। विभिन्न विभागों की ऑडिट समिति की बैठकों में निरीक्षण विभाग से सम्बन्धित बकाया प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों पर चर्चा हेतु निरीक्षण विभाग के अधिकारी भाग लेते हैं तथा अनुपालना की प्रभावी कार्यवाही हेतु बैठकों में निर्देश/सुझाव दिये जाते हैं।

5. विभागीय बजट एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार रही हैः—

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट	व्यय
1	2018—19	1604.37	1542.84
2	2019—20	1725.38	1436.50
3	2020—21	1761.72	1466.64
4	2021—22	1661.77	1515.46
5	2022—23	1849.28	1522.11
6	2023—24	1916.91	1437.18
7	2024—25	1765.88	989.69 (दिसम्बर, 2024 तक)

6. सार—संक्षेप

विभाग द्वारा आलोच्य वर्ष (01.04.2024 से 31.12.2024) में 40 विभागाध्यक्षों के लेखों की आन्तरिक जांच, 564 विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के भण्डारों का भौतिक सत्यापन एवं 4 संस्थाओं के लेखों का विशेष अंकेक्षण किया गया है, आलोच्य वर्ष में आन्तरिक जांच, भौतिक सत्यापन एवं विशेष जांच प्रतिवेदनों में कुल 3734 अनुच्छेद नये गठित किये गये हैं एवं 5772 अनुच्छेद निरस्त किये गये।